हरियाणा सरकार

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग

ग्रधिस् चना

दिनांक 29 अक्टूबर, 1998

संख्या सा० का० नि 3 6/संवि०/ग्रनु० 30 9/98.—भारत के संविधान के अनुक्छेद 30 9 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मुख्यालय/क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शतों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग 1-सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- 1. (1) ये नियम हरियाणा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मुख्यालय श्रौर क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषायें :

- 2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से ग्रन्यथा अपेक्षित न हो ,--
 - (क) "ग्रायोग" से अभिप्राय है, हरियाणा, कर्मचारी चयन ग्रायोग ;
 - (ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में, से पदोन्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे, किसी कमंचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;
 - (ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;
 - (ङ) "संस्था" से ग्रामिप्राय है,-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;
 - (च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से ग्रिभप्राय है,--
 - (i) भारत में विधि द्वारा निगमत कोई विश्वविद्यालय ; अयवा

- (ii) 15 स्नगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्न (डिपलोमा) या प्रमाण पत्न की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ;
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मुख्यालय और क्षेत्रीय प्रुप (ग) सेवा ;
- (ज) "सचिव" से ग्रभिप्राय है, सचिव, हरियाणा सरकार, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ;

भाग II--सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशाष्ट क के बताये गये पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कभी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, श्रधिवास तथा चरित्र :

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—
 - (क) भारत का नागरिक ; या
 - (ब) नेपाल की प्रजा ; यर
 - (ग) भूटान की प्रजा ; या
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी , जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के ब्राशय से ब्राया हो ; या
 - (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनिय या, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गगराज्य (भूतपूर्व टांगानिका ग्रौर जंजीबार), जांबिया मलाबी, जायरे ग्रौर इथोपिया के किसी पूर्वी ग्रफ़ीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के ग्राशय से ग्राया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पान्नता का प्रमाण पन्न जारी किया गया हो ।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पावता का प्रमाण-पत्न ग्रावश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा ग्रावश्यक पावता प्रमाण पत्न जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर, सीघी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी नहों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित नहों उसी प्रकार के प्रमाण-पत्न प्रस्तुत न करें।

ग्रायु :

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से आगामी मास के प्रथम दिन को सबह वर्ष की आयु से कम अथवा 35 वर्ष की आये से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में जल्लिखित योग्यतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा जारीरिक रूप से विकलांग उम्मीद्वारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीद्वारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दियें जायेंगे।

अयोग्यतायें :

- 8. कोई भी व्यक्ति,---
 - (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विधा कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
 - (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह संविदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के या दूसरे पक्ष पर लागू स्वीध के अधीन ऐसा विवाह अनुक्रेंग है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग:

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,--

म् ख्यालय :

- (क) निजी सहायक की दशा में,---
 - (i) वरिष्ठ वेतनमान आगुलिपिक में से पदोन्तित द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ख) कार्यं कमक की दशा में,---
- (i) डैटा एन्ट्री ग्रापरेटर में से पदोन्ति द्वारा ; या
- ि(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ग) सहायक की दशा में,---
 - (i) लिपिक या आशुटंकक में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की दशा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,--
 - (i) आश्वटंकक में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (ङ) चालक की दशा में,---
 - (i) सेवादार/महतर या वीकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (च) ग्राश्टंकक की दशा में,---
 - (i) लिपिक एवं रोकिङ्या में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (छ) डाटा एन्ट्री ग्रापरेटर की दशा में,---
 - (i) लिपिक एवं रोकड़िया में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

टिप्पणी.—डैंडा एन्ट्री ब्रापरेटर का पद टैकनीकल होने के कारण लिपिक एवं रोकड़िया के पदों से ब्रधिक उत्तर-दायित्व वाला है ।

- (ज) लिपिक एवं रोकड़िया की दशा में,--
 - (i) सेवादार/मेहतर या चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार भी सेवा में से पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

क्षेत्रीय:

- (क) सहायक परियोजना ग्रधिकारी की दशा में,---
 - (i) 30 प्रतिगत तकनीकी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; श्रीर
 - (ii) 70 प्रतिशत सी घी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (ख) तकनीकी सहायक की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्त द्वारा ;
- (ग) ग्राशुटंकक की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कमेंचारी के स्थानान्तरण प्रथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यया उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी तथा के बल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा :

10 (i) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्त् ---

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अविध परिवीक्षा की अविध में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष प्रथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के निवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा-प्रविध की ओर गिनने दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्त नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर, व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्त रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की श्रविध के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह,—
 - (क) यदि, ऐसा व्यक्ति चीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; भौर

- (ख) यदि, ऐसा व्यक्ति, सीधी मतीं से ग्रन्थका नियुक्त किया गया हो तो,--
 - (i) उसे उसारे पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या
 - (ii) उसकी सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारंबाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा भर्ते अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा-अवधि पूरी होते पर, नियुक्ति प्राधिकारी,---
 - (क) यदि, उसका कार्य या ग्राचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,---
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी ग्रस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
 - (iii) यदि, कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या
 - (ख) यदि, उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,---
 - (i) यदि यह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाग्रों से ग्रलग कर सकता है, यदि ग्रन्थशा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्वे पद पर प्रति—वर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी ग्रन्थ रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा गर्ते ग्रनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद एसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अन्सार निश्चित की जायोगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायोगी:

परन्तु यह ग्रौर कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता कम को भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और एक ही तिथि को तियुक्त दोया दोसे अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :---

- (क) सीघी मतीं द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ; या
- (ख) पदोन्ति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता की नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किये गये थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो, उनकी, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर, किसी भी स्थान, पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये होगा '
- (2) सेवा के किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जासकता है:--
 - (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूणं या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार क पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, जिसका पूर्ण या ग्रधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्र सरकार के पास हों ; ग्रथवा
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्तण सरकार के पास न हो, अथवा गैर सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमित के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार अथवा किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाये गा ।

बेतन, छुट्टी, पैशन भीर अन्य मामले :

13. वैतन, छुट्टी, पैंशन और सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से जपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंतित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी हारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये या बनाये गये हों या इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनु शासन, शास्तियां और अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अभोजों से तंत्रीक्षत माम तो में, सेत्रा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अभील) नियम 1987, हारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी बास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सहती हैं, ऐसी बातिस्वां लगाने के लिये सशकत प्राधिकारी तथा धर्मील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिद्धिट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण ब्रादेश द्वारा ऐसा निर्देश करे तो टीका लगवायेगा या पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

.विशेष उपबन्ध :

18 इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति स्रादेश में विशेष निवन्धन तथा सर्वे लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

म्रारक्षण:

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग अथवा प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित शारक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति :

20. हरियाणा राज्यार्थ पंजाब राज्य श्रेणी घ सेवा नियम, 1963, तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप, सेवा को लागू कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरिसत किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार से निरिसत नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिभिष्ट क

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पवनाम	Control to the state of the sta	पदों की स	ांख्या	वेतनमान
0.941	1	स्थायी	ग्रस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	enter de la company de la comp
	मुख	पालय			रुपयो
1	निजी सहायक	-	1	1	5,500-175-8,300-ई० बी०-175- 9,000
2	कार्यक्रमक	_	1	1	5,500-175-8,300-ई० वी०-175-
3	सहायक		2	2	9,000 5,000-150-7,100-ई॰ बी॰-150- 7,850
4	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		1	1	5,000-150-7,100-ई॰ बी॰-150- 7,850
5	चालक	-	2	2	4,000-100-4,800-ई० बी०-100- 6,000
6	धाशुटं क क	_	2	2	3050-75-3,950-ई० बी०-80- 4,590
7	डैटा एन्टरी बापरेट	₹ <u> </u>	1	1	3,050-75-3,950-ई০ ৰ্বাত-80- 4,590
8	लिपिक-एवं- रोकड़िया	partima	3	3	3,050-75-3,950-ई० बी०-80- 4,590
	क्षेत्रीय				
1	सहायक परियोजन। ग्रधिकारी	_	30	30	5,450-150-6,950-ई० बी०-150 8,000
2	तकनीकी सहायक		16	16	4,000-100-4,800-ई० बी०-100 6,000
3	ग्रागटकक	-÷ `	30	30	3,050-75-3,950-ई० बी०-80- 4,590

	20		
-4	0.00	ह्य	The same
п	100	Total .	77

(देखिए नियम 7)

त्रम पदनाम सीघी भर्ती के लिये ग्रीक्षणिक ग्रहंतायें सीघी भर्ती से ग्रन्थथा, द्वारा नियुक्ति के तथा ग्रन्भव, यदि कोई हो लिये ग्रीक्षणिक ग्रहंतायें तथा ग्रन्भव, यदि कोई हो

1 2 3 4

 मुख्यालय पदोन्नित द्वारा—
1 निजी सहायक — (i) वरिष्ठ वेतनमान ग्रामलिपिक के

- (i) वरिष्ठ वेतनमान आसुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का प्रतुभव :
- (ii) 80 मन्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आमुलिपि और 15 मन्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यान्तरण और 100 मन्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आमुलिपि और 20 मन्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यान्तरण।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा -

- (i) निजी सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;
- (ij) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आणुलिप और 15 शब्द प्रति भिनट की गति से उसका लिप्यान्तरण और 100 शब्द प्रति भिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यान्तरण ;
 - (iii) भैट्रिक स्तर तक हिन्दी का जान ।

3

4

2 कार्यंत्रमक

- (i) उम्मीदवार के पास कम्पयूटर
 विज्ञान/इलैक्ट्रोनिक्स में एम० सी०
 ए०/प्रथम श्रेणी बी० ई०/भौतिक/
 गणित/सांख्यिकीय में प्रथम श्रेणी
 एम० एस० सी० उपाधि के साथ
 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
 से कम्पयूटर में स्नातकोतर
 डिप्लोमा होना चाहिये;
- (ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

पदोन्नति द्वारा—

- (i) उम्मीदवार के पास कम्पयूटर विज्ञान/इलैक्ट्रोनिक्स में एम० सी० ए०/प्रथम श्रेणी बी० ई०/भौतिक/ गणित/सांख्यिकीय में प्रथम श्रेणी एम० एस० सी० उपाधि के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्पयूटर में स्नातकोतर डिप्लोमा होना चाहिये;
- (ii) डैटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ---

- (i) उम्मीदवार के पास कम्पयूटर विज्ञान/इलैक्ट्रिनिक्स में एम० सी० ए०/प्रथम श्रेणी बी० ई०/भौतिक/ गणित/सांख्यिकीय में प्रथम श्रेणी एम० एस० सी० उपाधि के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्पयूटर में स्नातकोतर डिप्लोमा होना चाहिये;
- (ii) डैटा एन्ट्री आपरेटर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
- (iii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । पदोन्नित द्वारा -
- (i) लिपिक या आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा --

(i) लिपिक या ग्राणुटंकक के रूप में पांच वर्ष का ग्रन्भव ;

3 सहायक

- (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
- पदोन्नति द्वारा —

- 4 वरिष्ठ वेतनमान श्राश्लिपिक
- (i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैंकण्डरी द्वितीय श्रेणी/ इण्डरमीडियट द्वितीय श्रेणी/ 10+2(व्यवसायिक)/स्नातक या उसके समकक्ष (भत्तपर्व सैनिकों के लिये मैंट्रिक);
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी ग्राशुलिप तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ग्रीर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ग्रंगेजी ग्राशुलिप तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से ग्रंगेजी ग्राशुलिप तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन;
- (iii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

- (i) ग्रागुटंकक के रूप में पांच वर्ष का ग्रनुभव ;
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी प्राशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ग्रेग्रेजी ग्राशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा -

- (i) मैद्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकेण्डरी द्वितीय श्रेणी/इण्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी/१ण्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी/10+2 (ज्यवसायिक) स्नातक या उसके समकक्ष (भूतपर्व) सैनिकों के लिये मैद्रिक ;
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी ग्राशुलिप तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ग्रीर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ग्रंग्रेजी ग्राशुलिप तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
- (iii) आगुटंकक के रूप में पांच वर्ष का या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

5 चालक

- (i) हिन्दी मैट्रिक के साथ;
- (ii) हत्का परिवहन वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसैंस हो ;
- (iii) हल्के परिवहन चलाने का दो वर्षं का ड्राईविंग अनुभव;
- (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। पदोन्नति द्वारा-
- (i) सेवादार/मेहतर या चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का ग्रन् भव ;
- (ii) हल्का परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाईसैंस हो ;
- (iii) हल्के परिवहन चलाने का दो वर्ष का ड्राईविंग अनुभव।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-

- (i) हिन्दी के साथ मैट्रिक;
- (ii) हल्का परिवहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेंस हो ;
- (iii) हल्के परिवहन चलाने का दो वर्ष का ड्राईविंग ग्रनुभव ;

6 श्राश्टंकक

- (i) मैं द्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकण्डरी द्वितीय श्रेणी/ इण्टरमीडियट द्वितीय श्रेणी/10+ (i) लिपिक एवं रोकड़िया के रूप में 2 (व्यवसायिक)/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिये मैद्रिक) ;
- (ii) 80 मञ्द प्रति मिनट की गति से यंग्रेजी यामुलिपि तथा 15 जब्द प्रति मिनट भी गति से उसका प्रतिलेखन और 64 गब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आश-लिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

पदोन्नति द्वारा--

- पांच वर्षं का अनुभव ;
- (ii) 80 जब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ग्रीर 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 मन्द प्रति मिनड की गति से प्रतिलेखन ;

3

(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--

- (i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकण्डरी दितीय श्रेणी/इण्टरमीडियट दितीय श्रेणी 10+2 (व्यवसायिक) स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिये मैट्रिक);
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
- (iii) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
- (iv) मैद्भिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

पदोन्नित द्वारा--

- 7 डैटा एन्ट्री ग्रापरेटर
- (i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैंकण्डरी/10+2(व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
- (ii) आई० टी० आई० के डाटा एन्ट्री में प्रमाण पन्न;
- (iii) दो साल का डाटा एन्ट्री में अनुभव ;
- (iv) मेट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

- (i) आई॰ टी॰ आई॰ से डाटा एन्ट्री में प्रमाण पत्र ;
- (ii) लिपिक एवं रोकड़िया के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

3

4

स्थानान्तरण या प्रतिनिय्क्ति द्वारा--

- (i) मैद्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकण्डरी/ 10+2 (व्यवसायिक) या इसके समकक्ष ;
- (ii) आई० टी० आई० से डाटा एन्ट्री में प्रमाण पत्न ;
- (iii) दो साल का डाटा एन्ट्री में अनुभव;
- (iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

पदोन्नति द्वारा---

- (i) सेवादार/मेहतर या चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
- (ii) उम्मीदवार को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर श्रंग्रेजी या हिन्दी में कमशः 30/25. शब्द प्रति मिनटकी गति से टाईप टैस्ट पास करना होगा;
- (iii) निदेशक द्वारा की जाने वाली मैट्रिक स्तर की हिन्दी और अंग्रेजी में लिखित परीक्षा पास करनी होगी।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--

(i) मैद्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकण्डरी दितीय श्रेणी/इण्टरमीडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक)/स्नातक या उसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिको के लिये मैद्रिक);

8 लिपिक एवं रोकड़िया

- (i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/हायर सैकण्डरी द्वितीय श्रेणी/इण्टर— मीडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक)/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिये मैट्रिक);
- (ii) उम्मीदवार को नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर ग्रंग्रेजी या हिन्दी में क्रमणः 30/25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप टैस्ट पास करना होगा ;
- (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

ग्रधिकारी

- डिप्लोमा ;
- (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
- (i) इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक्स या मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ;
- (ii) तकनीकी सहायक के रूप में पांच वर्षं का अनुभव ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--

- (i) इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रोनिक्स या मकौनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा;
- (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
- (iii) तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

2 तकनीकी सहायक

- (i) मैदिक के साथ मही निकल/फिटर, मोटर मक निक, इल निट्रकल/टर्नर में में ग्राई० टी० ग्राई० प्रमाण पत ;
- (ii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

स्यानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा--

- (i) मैट्रिक के साथ मकै निकल/फिटर, मोटर मकैनिक, इलैक्ट्रिकल/टर्नर में प्रमाण पव ;
- (ii) तकनीकी सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्षं का अनुभव ;
- (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

3

4

3 स्राश्टंकक

- (i) मैद्रिक प्रथम श्रेणी/हायर
 सैकण्डरी द्वितीय श्रेणी/इण्टर—
 मीडियट द्वितीय श्रेणी/10+2
 (व्यवसायिक)/स्नातक या इसके
 समक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के
 लिए मैद्रिक);
- (ii) 80 शब्द प्रित मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;
- (iii) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा-

- (i) मैद्रिक प्रयम 'श्रेगी/हायर सैकण्डरी द्वितीय श्रेणी/इण्टरमीडियट द्वितीय श्रेणी/10+2 (व्यवसायिक) स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिये मैद्रिक);
- (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिप तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से से उसका प्रतिलेखन ;
- (iii) लिपिक के रूप में पांच वर्ष का ग्रमुभव;
- (iv) मैद्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

परिकाब्द ग .

[देखिए नियम 14 (1)]

कम संख्या	पद नाम	नियुक्ति शा प्राधिकारी	स्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	म्रपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा श्रन्तिम श्रपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
	मुख्यालय—	A many first live or that some providings some many lives band page.	And the Part of th			
1	निजी सहायक	निदेशक (1)	छोटी शास्तियां :	निदेशक	सचिव	सरकार
2	कार्यंत्रमक	(i))	वैयक्तिक फाईल (ब्राचरण पंजी)			
3	सहायक		पर प्रति रखते हुये			
4	वरिष्ठ		चेतावनी ;			
	वेतनमान ग्राणुलिपिक		परिनिन्दा ;			
		(111)	पदोन्नति रोकना;			
5	चालक	(iv)	आवेशों की उपेक्षा			
C	rear incom		या उल्लंघन द्वारा			
6	ग्राश _ु टंकक		केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरका			
7	डैटा एस्ट्री		की ग्रथवा ऐसी			
	ग्रापरेंटर		कम्पनी, संगम या			
			व्यप्टि निकाय को			
8	लिपिक एवं		चाहे वह निगमित			
	रोकडिया		हो या नहीं, जिसका	43		
			य। प्रधिकार स्वारि			
	4		या नियन्त्रण सरका	र		1
-			के पास है या संसद			

1	2	3	4	5	6	7
	क्षेत्रीय-					
1	सहायक परियोजना		या राज्य विधान			
	श्रधिकारी 💮		मण्डल के ग्रधि-			
			नियम द्वारा स्था-			7 3
			पित किसी स्थानीय			
2	तकनीकी	क्यान्त्र विका	प्राधिकरण या	शिववादी	1	IRA
	सहायक	1 (2000)	विश्वविद्यालय को			
	III8	1- 行而紀末	हुई किसी धन			
3	ग्राशुटंकक		सम्बन्धी पूरी		Partie San	
			हानि की या उसके			
			भाग की वेतन से			
			वसूली ; तथा		-	
			(v) संचयी प्रभाव के			
TOTAL PROPERTY.			बिना वेतन वृद्धियां	and and	अधारत हिस्सी	
			रोकना ;			
			(2) बड़ी शास्तियां :		SPECIAL SPECIA	
			(vi) संचयी प्रभाव से			
			वैतन वृद्धियां रोकना		新加拉斯	-16
		(1	vii) किसी विनिर्दिष्ट		out in	
			ग्रवधि के लिये		वेत्वसास वेत्वसास	
		Contract of the second	समयमान में निम्नतर			
			प्रक्रम पर ग्रवनति,			
			ऐसे अतिरिक्त			
			निदेशों सहित कि		STATE.	
1			सरकारी कर्मचारी	*		
			ऐसी ग्रवनित की			
			भ्रवधि के दौरान			
			वेतन वृद्धियां ग्राजित		THE RES	
			करेगा या नहीं,			
			ग्रीर क्या ऐसी			
			ग्रवनित उसकी		ीश्री करोती	
		1	भावी वेतन वृद्धियां		- विशेषांत्र	
	The Tier	F. 197	स्थगित करने का			
			प्रभाव रखेगी			
			ग्रथवा नहीं ;			

1 2 3 4 5 6

(viii) निम्नतर वेतन-मान, ग्रेड अथवा पद पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी वे उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पद, जिससे वह ग्रवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये सामान्यतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद ग्रथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर वहाली सम्बन्धी ग्रीर उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी श्रतिरिक्त निदेशों की साथ या उसके बिना होगा ;

- (ix) श्रनिवार्य सेवा निवृति ;
- (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरहता नहीं होगी;
- (xi) सेवा से पदच्यूति, जो सरकार के ग्रघीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहता होगी।

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

कम संख्या	पदनाम		ग्रादेश का स्वरूप	आदेश देने के लिये सशक्त प्राधिकारी	ग्रपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी
1	2		3	4	5	6
	मुख्यालय:					
1	निजी सहायक	(i)	पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय	निदेशक	सचिव	सरकार
. 2	कार्यं कमक		सामान्य/श्रतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;			
3	सहायक	(ii)	उस की ग्रधिवर्षिता के लिये नियत			
4	वरिष्ठ वेतनमान भ्राणुलिपिक		ग्रायु होने से ग्रन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।			
5	चालक					
6	आणुं टंकक					
7	, डैटा एन्ट्री आपरेट	र	spinsin.			
8	लिपिक-एवं- रोकड़िया					
	क्षेत्रीय:					
1	सहायक परियोजन ग्रधिकारी	ना				
2	तकनीकी सहायक	1	100 Telephone			
3	ग्राशु टंकक					

एस० वाई० कुरैशी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

Notification

The 29th October, 1998

No. G.S.R. 36/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of pwrsons appointed to the Haryana Non-conventional Engergy Sources Headquarter & Field (Group C) Service, namely:—

PART I-GENERAL

Short title and commencement:

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Non-coventional Engergy Sources Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of thier publication in the Official Gazette.

Definitions:

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission;
 - (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director, Non-conventional Energy Sources Department, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution" means,—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised university" means,-
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca, University; or

- (iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules;
- (g) "Service" means the Haryana Non-conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Service;
- (h) "Secretary" means Secretary to Government Haryana, Non-conventional Energy Sources Department;

PART II-RECRUITMMENT TO SERVICE

Number and Character of posts \$

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions, in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service :

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,-
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
 - (e) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethoipia with the intention of permanently settling in India:
 - Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eiligibility has been issued by the Government.
- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 17 years or more than 35 years of age, on the first day of the month next preceding the last date of submission of application to the Commission.

Appointing authority:

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Director.

Qualifications:

7. No person shall be appointed to any post, in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed otherwise than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes. Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications:

- 8. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment:

9. Recruitment to the Service shall be made,-

Headquarter:

- (a) in case of Personal Assistant,-
 - (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers; or
 - (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India:

- (b) in case of Programmer,-
 - (i) by promotion from amongst Data Entry Operators; or
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (c) in case of Assistant,-
 - (i) by promotion from amongst Clerks or Steno-typists; or
- (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (d) in case of Senior Scale Stenographer,-
 - (i) by promotion from the amongst Steno-typists; or
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (e) in case of Driver,-
 - (i) by promotion from amongst persons, Sweepers or Chowkidars; or
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (f) in case of Steno-typist,-
 - (i) by promotion from amongst Clerk-cum-Cashier; or
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (g) in case of Data Entry Operator,-
 - (i) by promotion from amongst Clerk-cum-Cashier;
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India.

Note: The post of Data Entry Operator being technical is of higher responsibility than that of Clerk-cum-Cashier.

- (h) in case of Clerk-cum-Cashier,-
 - (i) by promotion from amongst Peons, Sweepers or Chowkidars;
 - (ii) by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any state Government or the Government of India;

Field :

- (a) in case of Asssistant Project Officer,-
 - (i) 30% by promotion from Technical Assistants; and
 - (ii) 70% by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (b) in case of Technical Assistant,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (c) in case of Steno-typist,-
 - (i) by direct recruitment; or
 - fii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cummerit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation '

10, (1) Persons appointed to any post in the Service remain on probaticn, for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that -

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an cappointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of efficiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

- (2) If, in the epinion of the appeinting authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,-
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct as in its opinion, been not satisfactory,-
 - (i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority, inter se of the members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service;

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre;

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority;

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed promotion or by transfer;

- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve:

- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing anthority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve under-
 - (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:
 - Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the timbeing in focce made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals:

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of subrule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination:

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance:

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax andy of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions:

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations:

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concesions required to be provided for Scheduled Caste, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and Savings:

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed;

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX-A

(See Rule 3)

Sr. No.	Desingnation of posts	Numbe	er of posts		Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
	Headquarter:				
1	Personal Assistant	a-	1	1	Rs. 5500—175—8300— EB—175—9000
2	Programmer	e _	1	1	Rs. 5500—175—8300— EB—175—9000
3	Assistant		2	2	Rs. 5000—150—7100— EB—150—7850
4	Senior Scale Steno- grapher		1	1	Rs. 5000—150—7100— EB—150—7850
5	Driver	_	2	2	Rs. 4000—100—4800— EB—100—6000
6	Steno-typist	-	2	2	Rs. 3050—75—3950 — EB—80—4590
7	Data Entry operator	a -	1	1	Rs. 3050—75—3950—EB— 80—4590
8	Clerk-cum-Cashier	-	3	3	Rs. 3050—75—3950—EB— 80—4590
	Field:				
1	Assistant Project Officer	-	30	30	Rs. 5450—150—6950—EB— 150—8000
2	Technical Assistant	-	16	16	Rs. 4000—100—4800—EB
3	Steno-typists	04	30	30	Rs. 3050—75—3950—EB— 80—4590

APPENDIX-B

(See rule 7)

Serial Designation of post No.

Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment

2

3

4

Headquarter:

1 Personal Assistant

By promotion-

- (i) 5 years experience as Senior Scale Stenographer;
- words per minute and (ii) Hindi Shorthand words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;

By transfer or deputation-

- (i) One year experience as personal Assistant;
- (ii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute;
- (iii) Knowledge of Hindi upto Matric.

2 Programmer

(i) Candidate should be MCA 1st Class, B.E.in Computer Science/Electronics/1st Class M.Sc.

By promotion --

(i) Candidate should be MCA 1st Class, B.E. in Computer Science or Electronics

Degree in Physics/Maths/ Salatistics with Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognised University;

or 1st Class M.Sc. Degree in Physics, Maths or Sta-tistics with post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognised university.

- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric.
- (ii) 5 years experience as Data Entry Operator,

By transfer or deputation-

- (i) Candidate should be MCA

 1st Class, B. E. in

 Computer Science or

 Electronics or 1st Class

 M.Sc. Degree in Physics;

 Maths or Statistics with

 Post Graduate Diploma

 in Computer Applications in Computer Applications from a recognised univerisity;
- (ii) 5 years experience as Data Entry Operator;
- (iii) Knowledge of Hindi up to Matric.

By promotion-

(i) 5 years experience Clerk or Steno-typist;

By transfer or deputation-

- (i) 5 years experience as Clerk or Steno-typist;
- (ii) Knowledge of Hindi up-to Matric.

By promotion-

- (i) 5 years experience as Steno-typist;
- (ii) English Shorthand 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and

Assistant

- Senior Scale Stene- (i) Matric 1st Division/ grapher Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd
 Division/10+2 (Vocational) 2nd division/
 Graduate or equivalent (for Ex-Servicemen Matric only); (ii) English Shorthand at

100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute:

(iii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard.

Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription at 15 words per minute.

By transfer or deputation-

- (i) Matrio 1st Division/ Higher Secondary 2nd
 Division/Intermediate 2nd
 Division/10+2 (Vocational)
 2nd Division/Graduate or equivalent (for Ex-service-men Matric enly);
- (ii) English Shorthand 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute;
- 5 years experience at Steno typist or 3 years experience as Junior Scale Stenographer;
- (iv) Knowledge of Hindi up to Matrie standard.

By promotion-

- (ii) Should have light transport vehicle driving licence;
- (iii) 2 years experience driving a light vehicle.

By transfer or deputation-

- (i) Matric with Hindi;
- (ii) Should have light transport vehicle driving licence;
- (iii) 2 years experience of driving a light vehicle,

Driver

- (i) Matric with Hindi;
- (ii) Should have light transport vehicle, driving Licence; (i) 5 years experience as Peon, Sweeper or Chewkidar;
- (iii) 2 years experience of driving a light vehicle.

6 Stene typist

- (i) Matric 1st Division/ Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10-2 (Vocational) 2nd Division/ Graduate or equivalent (for Ex-servicemen Matric only);
- (i) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute;
- (iii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

By promotion-

- (i) 5 years experience as Clerk-cum-Cashier;
- (ii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute.
- By Transfer or deputation—
 (i) Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2 (Vocational) 2nd Division/Graduate or equivalent (for Ex-servicemen Matric only);
- (ii) English Shorthard at 80
 words per minute and
 transcription thereof a at
 15 words per minute and
 Hindi Shorthand at 64
 words per minute
 and transcription thereof
 at 11 words per minute;
- (iii) 5 years experience as Olerk;
- (iv) Knowledge of Hindi up to Matric standard.
 - By promotion-
- (Vocational) or equivalent; (i) Data Entry Certificate from I.T.I.;
- (ii) Data Entry Certificate from 1.T.1.;

Data Entry Operator (i) Matric 1st Division/ Higher Secondary/10+2

- (iii) Two years experience in Data Entry;
- (iv) Knowledge of Hindi up to Matric.
- (ii) 5 years experience as Clerk-cum-Cashier;
- By Transfer or deputation-
- (i) Matric 1st Division/ Higher Secondary/10+2 (Vocational or equivalent;
- (ii) Data Entry Certificate from I.T.I.;

- (iii) Two years experience in data entry;
- (iv) Knowledge of Hindi up to Matric.

- 8 Olerk-cum-Cashier
- (i) Matric 1st Division/ Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/10+2 (Vocational) 2nd Division/Graduate or equivalent (for Ex-servicemen Matric only); (i
- (ii) Candidates will have to pass English/Hindi type test @ 30/25 words per minute respectively within one year from the date
- of appointment:
 (iii) Knowledge of Hindi
 upto Matric.

By Promotion -

- (i) 5 years regular service as Peon, Sweeper or Chowkidar;
- (ii) Candidate will have to pass English/Hindi type test @ 30/25 words per minute respectively with-in one year from the date of appointment;
- (iii) Candidate shall have to pass the written examination of Hindi and English of Matric standard to be Conducted by the Director.

By Transfer or deputation-

- (i) Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/ Intermediate 2nd Division/ 10+2 (Vocational) 2nd Division/Graduate or equivalent (for Ex-servicemen Matric only);
- (ii) Candidates will have to pass English/Hindi type test @ 30/25 words per minute respectively within one year from the date of appointment;
- (iii) 5 years experience as Clerk.

Field Staff:

- 1 Assistant Project Officer
- (i) Diploma in Electrical or By Promotion-Electronics or Mechanical Engineering;

 - (i) Diploma in Electrical or

2

3

4

- (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.
- Electronics or Mechanical Engineering;
- (ii) 5 years experience as Technical Assistant.
- By Transfer or deputation-
- (i) Diploma in Electrical or Electronics or Mechanical Engineering:
- (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.
- (iii) 5 years experience as Technical Assistant/Junior Engineer.
- By Transfer or deputation-
- (i) Matric with ITI certifi-cate holder (Mechanical or Fitter or Motors or Electrical or Turner);
- (ii) 5 years experience as Technical Assistant;
- (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
- By Transfer or deputation-
- (i) Matric 1st Division/ Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/16-1-2 (Vocational) 2nd Division/ Graduate or equivalent (for Ex-servicemen Matric only);
- (ii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute or Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute. 11 words per minute;
- (iii) 5 years experience Clerk;
- (iv) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

2 Technical Assistant

- (i) Matric with ITI certificate holder (Mechanical or Fitter or Motors or Electrical or Turner);
- (ii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.
- Steno typist
- (i) Matric 1st Division/ Higher Secendary 2nd Division/Intermediate 2nd
 Division/10+2 (Vccational) 2nd Division/
 Graduate or equivalent (for Ex-Servicemen Matric only);
- (ii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute or Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute;
- (iii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designa- tion of posts	Appoint- ing antho- rity	Nature of penalties	Authority empower- ed to impose penalty	Appella- te auth- orlty	Second and final appellate authority, if any,
1	2	3	4	5	6	7
		A collected	Minor Penalties—			
H	EAD QUART	ER	-S -Resolution:			hombol t
1	Personal Assistant	Director	(i) warning with a copy in the personal file (Character roll);	Director	Secretary	Government
2	Programmer		(ii) Censure;	200		
3	Assistant		(iii) Withholding of promotion;			
4	Senior Scale Stenogra- pher		(iv) recovery from pay of the whole or part of any			nel ment 2
5	Driver		pecuniary loss caused by negligeno	æ		
6	Steno- typist		or a breach of orders to the Ce tral Government or a State Govern-	n-		
7	Data Entry Operator		ment or a company and asso- ciation or a body			
8	Clerk-cum- Cashier		of individuals whether in corporated or not, which is	r content		
	FIELD		wholly or substan- tially owned or	THE PARTY OF		
1	Assistant Project Officer		controlled by the Government or to a local authority or University set			
2	Technical Assistant		up by an Act of Parliament or of the Legislature of			

3 Steno-Typist (v) withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties-

- (vi) a withholding of increments of pay with cumulative j effect;
- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of post poning the future increments of his pay;
- (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his

7

2 3 4 5 6

seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

- (viii) compulsory retirement;
- (ix) removal from
 service which shall
 not be a disqualification for future
 employment under
 the Government;
- (x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

pay;

(viii) reduction to a lower scale of pay lower scale of pay grade, post or sarvior which scall ordinarily be a her to the promotion of time scale of pay apply to the grade, post or the grade, post or the regarding conditions further directions of restoration to regarding conditions or service from the grade or post or service from the grade or post or service from the grade or post or service from the Governor content omployee was reduced and his

HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 6, 1999 (CHTR 16, 1921 SAKA)

APPENDIX D

[See rulo 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority of to make o	empowered rder	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3		4	5	6
	HEADQUART	ΓER				
1	Personal Assistant	(i) reducing or v ding the am ordinary or	ount of additional	Director	Secretary	Government
2	Programmer	pension adr under the r governing p	ules			
3	Assistant	(ii) terminating appointment				
4	Senior Scale Stenographer	wise than of attaining the	n his e age			
5	Driver	fixed for sur tion.	perannua-			
6	Steno-typst					
7	Data Entry Operator					
8	Clerk-cum- Cashier					
	FIELD					
1	Assistant Pro- ject Officer					
2	Technical Assistant					
3	Steno-typist					

S.Y. QURAISHI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Nonconventional Energy Sources Department.

21537CS(H) -Govt. Press, U.T., Chd.

ラル :

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 12, 2005 (BHDR. 21, 1928 SAKA)

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2006

संख्या सा० का० नि० 25/संवि०/ अनु० 309/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा खोत मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकार न की तिथि से लागू होंगे।
- 2. हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा लोत मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 तथा प्रस्तावना में, "हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा लोत" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "हरियाणा अक्षय ऊर्जा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस० सी० चौधरी, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVT. GAZ., SEPT. 12, 2006 (BHDR. 21, 1928 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2006

- No. G. S. R. 25/Const./Art. 309/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Non-conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998, namely:—
- (1) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Service Amendment Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Haryana Non-conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998 and preamble, for the words "Haryana Non-conventional Energy Sources" wherever occurring, the words "Haryana Renewable Energy" shall be substituted.

S. C. CHAUDHARY,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2014

संख्या सा.का.नि. 5/संवि./अनु. 309/2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. हरियाणा के राज्यपाल. इसके द्वारा. हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय/क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा नियम. 1998. को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात् :--

- 1. ये नियम हरियाणा. अक्षय ऊर्जा मुख्यालय/क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम. 2014, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा, अक्षय ऊर्जा मुख्यालय/क्षेत्रीय (ग्रुप-ग) सेवा नियम. 1998. (जिन्हें, इससे, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, मुख्यालाय शीर्ष के नीचे,--
 - (i) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जाएगा:
 - (ii) "तिपिक एवं रोकडिया" शब्द जहां कहीं भी आएं के स्थान पर. "तिपिक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 3. उक्त नियमों में नियम 9 के बाद. निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "9क. (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों. किनष्ठ वेतन भान आशुलिपिकों और विरष्ट वेतनमान आशुलिपिकों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्ता/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों. आशुटंककों, किनष्ट वेतनमान आशुलिपिकों और विरष्ट् वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं. जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों. किनष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और विरष्ट वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथा विहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।
 - (2) उम्मीदवार को सीघी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अविध के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है. जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्तत किए गए हैं. को भी एक वर्ष तक विस्तारयोग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अविध के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।
 - (3) हरियाणा सरकार. इसके द्वारा. हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सिहत कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत ऐजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया पास प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 7. 2014 (PAUS. 17. 1935 SAKA)

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैसिंग. इन्टरनेट बराउजिंग तथा ई-मेल मनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में. दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सिहत बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिन्ट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड. चूंकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य

पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :--

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए.. बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटैकनिक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा:

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्युटर साक्षरता प्रमाण-पत्रः

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज.) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा

राज्य ग्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी):

- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अग्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा ग्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा ग्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अविध के लिए वैद्य माना जाएगा: तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन पॅरेल्इसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅ:व पॉ:ल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅ:वस सिस्टम को प्रमावित करने वाला डेक्लिनेशॅन डिजेनॅरॅटिव डिस्ऑ:ड्ॲ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है। तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटीसी) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"।
- उक्त नियमों को परिशिष्ट क में.
 - (क) "मुख्यालय" शीर्ष के नीचे --
 - (i) क्रम संख्या 7 के सामने. प्रशिष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।
 - (ii) क्रम संख्या 8 के सामने. खाना 2 के नीचे. "लिपिक एवं रोकड़िया" शब्दों के स्थान पर. "लिपिक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,
 - (क) "म्ख्यालय" शीर्ष के नीचे .--
 - (1) क्रम संख्या ४ के सामने, खाना ३ के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :--
 - "(i) 10+2 रनातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2)":
 - (11) क्रम संख्या ६ के सामने .--
 - (I) खाना 3 के नीचे. विद्यमान मद (i) के ख्यान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी. अर्थात :--
 - "(i) 10+2/रनालुक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2)":

- (॥) खाना ४ के नीचे. पदोन्नित द्वारा शीर्ष के नीचे. मद (i) में "लिपिक एवं रोकड़िया" शब्दों के रथान पर. "लिपिक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- (III) क्रम संख्या ७ के सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा:
- (IV) क्रम संख्या 8 के सामने. खाना 1. 2. 3 तथा 4 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी. अर्थात :--

"8 लिपिक (i) 10+2/रनातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2):

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान: (i) 10+2:

पदोन्नति द्वारा


(ii) सेवादार, स्वीपर या चौकीदार के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा:

रथानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा

- (i) 10+2/स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2):
- (ii) लिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभवः
- (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का
- (ख) "क्षेत्रीय" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर. निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :--
 - "(i) 10+2 / रनातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2);"।
- परिशिष्ट ग तथा घ में, "मुख्यालय" शीर्ष के नीचे, खाना 2 के नीचे. --
 - क्रम संख्या 7 के सामने, प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा: तथा
 - क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 2 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी. अर्थात :--

"लिपिक"।

एस. एन. रॉय. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार. अक्षय ऊर्जा विभाग।



HARYANA GOVT. GAZ. JAN. 7, 2014 (PAUS. 17, 1935 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 3rd January, 2014

No. G.S.R. 5/Const./Art. 309/2013.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy, Headquarter and Field (Group-C) Service Rules, 1998, namely:—

- 1. These rule may be called the Haryana Renweable Energy Sources, Headquarter and Field (Group-C) Amendment Rules, 2014.
- 2. In the Haryana Renewable Energy Sources Headquarter and Field (Group-C) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules), in rule 9, under heading Headquarter,—
 - (i) clause (g) shall be omitted;
 - (ii) for the words "Clerk-cum-Cashier", wherever occurring, the word "Clerk" shall be substituted;
 - 3. In the said rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely :--
 - "9A.(1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.
 - (2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.
 - (3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as pre-

HARYANA GOVT. GAZ. JAN. 7, 2014 (PAUS. 17, 1935 SAKA)

scribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):—
 - (i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institute e.g. Polytechnics;
 - Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
 - (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under subpara (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

- 4. In the said rules, in Appendix-A, under heading Headquarter,-
 - (i) entries against serial number 7 shall be omitted;
 - (ii) against serial number 8, under column 2, for the words and signs "Clerk-cum-Cashier", the word "Clerk" shall be substituted.

HARYANA GOVT. GAZ. JAN. 7, 2014 (PAUS. 17, 1935 SAKA)

- 5. In the said rules, in Appendix B,-
 - (A) under heading Headquarter,-
 - I. against serial number 4, under column 3, for existing item
 - (i) the following item shall be substituted, namely:-
 - "(i) 10+2/Graduate or equivalent (for ex-servicemen 10+2 only);";
 - II. against serial number 6, -
 - (1) under column 3, for the existing item (i), the following item shall be substituted, namely:—
 - "(i) 10+2/Graduate or equivalent (for ex-servicemen 10+2 only);";
 - (2) under column 4, under heading by promotion, in item (i), for the words and sign "Clerk-cum-Cashier," the word "Clerk" shall be substituted;
 - III. entries against serial number 7 shall be omitted;
 - IV. against serial number 8, under columns 1, 2, 3, and 4, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:—

1 2		3	4
**8 (Clerk	(i) 10+2/Graduate or equivalent (for ex- servicemen 10+2 only); (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	By Promotion- (i) 10+2; (ii) 5 years regular service as Peon; Sweeper or Chowkidar; By transfer/deputation- (i) 10+2/Graduate or equivalent (for ex-servicemen 10+2 only); (ii) 5 years experience as Clerk; (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.";

- (B) under heading Field staff, against-serial number 3, under column 3, for existing item (i), the following item shall be substituted, namely:—
 - "(i) 10+2/Graduate or equivalent (for ex-servicemen 10+2 only);".
- 6. In the said rules, in Appendices C and D, under heading Headquarter, under column 2,—
 - (i) entry against serial number 7 shall be omitted; and
 - (ii) against serial number 8, under column 2, the following entry shall be substituted, namely:—

____2 "Clerk".

S.N. ROY,

Principal Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 19-2019]

CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 7, 2019 (VAISAKHA 17, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2018

संख्या 1382—बी/संवि/अनु०/309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्चा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः—

- 1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5, में, ''35 वर्ष'' अकों तथा शब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 4th September, 2018

No. 1382-B/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy, Headquater and Field (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy Headquater and Field (Group C) Service (Amendment) Rules, 2018.
- 2. In the Haryana Renewable Energy Headquater and Field (Group C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "35", the words and sign "forty-two" shall be substituted.

ANKUR GUPTA,

Principal Secretary to Government Haryana, New and Renewable Energy Department.

57046-C.S.-H.G.P., Chd.



Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1493 /संवि0/अनु0 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख के स्थान पर, निम्नालिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अईतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्डतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	मुख्यालय निजी सहायक		पदोन्नित द्वारा— (i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव : तथा (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट को गति से उसका प्रतिलेखन;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) निजी सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से असका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
2	कार्यक्रमक	(i) उम्मीदवार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम०सी०ए० प्रथम श्रेणी, कम्प्यूटर विज्ञान / इलैक्ट्रिंगिक्स मे बी०ई०, कम्प्यूटर एप्तीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित भौतिक / गणित / सांख्यिकीय में प्रथम श्रेणी एम०एस०सी० उपाधि ;तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	पदोन्नित द्वारा— कम्प्यूटर (i) उम्मीदवार के पास कम्प्यूटर विज्ञान /

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अईतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
3.	सहायक		पदोन्नित द्वारा— (i) लिपिक या आशुटंकक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) लिपिक या आशुटंकक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम् योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताए रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझ जाएगा
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) 10+2 / रनातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	पदोन्नित द्वारा— (i) आशुटंकक के रूप में पाँच वर्ष क अनुभव; (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति र हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) 10+2 /स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिको के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति र हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; (iii) आशुटंकक के रूप में पाँच वर्ष का यक्ष प्रतिलेखन ; (iii) आशुटंकक के रूप में पाँच वर्ष का यक्ष प्रतिलेखन ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा कि हिन्दी / संस्कृत टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतय्योग्यताओं की तुलना में उच्चत योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पार

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
5.	आशुटंकक	(i) 10+2 / स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिको के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन और 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	पदोन्नित द्वारा— (i) लिपिक के रूप में पाँच वर्ष क अनुभव; तथा (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति रें अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति रें अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति रें हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति रें हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति रें उसका प्रतिलेखन; रथानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) 10+2 / रनातक या इसके समक्ष्य (भूतपूर्व सैनिको के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति रें अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति रें अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति रें हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति रें हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति रें उसका प्रतिलेखन (iii) लिपिक के रूप में पाँच वर्ष के अनुभव; तथा (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा रें हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतर योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझ जाएगा
6	लिपिक	(i) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :- पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा विहन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतर योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझ जाएगा
1	क्षेत्रीय सहायक परियोजना अधिकारी	(i) इलैक्ट्रिकल या इलैक्टिनिक्स या मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी: पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	पदोन्नित द्वारा— (i) इलैक्ट्रिकल या इलैक्टोनिक्स य मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा (ii) तकनीकी सहायक के रूप में पाँच व का अनुभव ;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, द्वारा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) इलैक्ट्रिकल या इलैक्टोनिक्स या मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; (ii) तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
2	तकनीकी सहायक	(i) मैट्रिक के साथ मकैनिकल / फिटर, मोटर मकैनिक, इलैक्ट्रिकल / टर्नर में आई०टी०आई० प्रमाण पत्र ; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) मैट्रिक के साथ मकैनिकल / फिटर, मोटर मकैनिक, इलैक्ट्रिकल / टर्नर में प्रमाण पत्र ; (ii) तकनीकी सहायक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव ; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा
3	आशुटंकक	(i) 10+2 / स्नातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिप और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिप तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पणी :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) 10+2 /रनातक या इसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10+2); (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से विन्द की गति से उसका प्रतिलेखन तथा 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; (iii) लिपिक के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; तथा (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत। टिप्पण :— पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा

टी० सी० गुप्ता, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1493/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group C) Service Rules, 1998, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group C) Service (Amendment) Rules, 2019.
- 2. In the Haryana Renewable Energy (Group C) Service Rules, 1998, for Appendix B the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX -B"

(see rule 7)

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
	Headquarter: Personal Assistant		(i) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; and (ii) Five years experience as Senior Scale Stenographer. By transfer or deputation- (i) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute; and (ii) One year experience as Personal Assistant. (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.
2	Programmer	(i) Candidate should be MCA 1st Class, B.E.in Computer Science/ Electronics/1st Class M.Sc. Degree in Physics/ Maths/ Statistics with Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognized university; and	By promotion- (i) Candidate should be MCA 1st Class, B.E. in Computer Science or Electronics or 1st Class M.Sc. Degree in Physics, Maths or Statistics with Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognized university; and (ii) Five years experience as Data Entry Operator.

Seria Numb	a congration of 1 ost	Academic qualification and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointmen other than by direct recruitment	
1	2	3	4	
		(ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	(i) Candidate Should be MCA 1st Class, B.E. in Computer Science or Electronics or 1st Class M.Sc. Degree in Physics, Maths or Statistics with Post	
			(ii) Five years experience as Data Entry Operator; and(iii) Hindi or Sanskrit up to Matrie Standard or Higher Education.	
3			Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	
3	Assistant		By promotion Five years experience as Clerk or Steno-typist.	
			By transfer or deputation -	
			(i) Five years experience as Clerk or Steno-typist; and	
			(ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.	
			Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	
1	Stenographer	 (i) 10+2 / Graduate or equivalent (for Ex-Servicemen 10+2 only); (ii) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription at 15 words per minute; and 	By promotion (i) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription at 15 words per minute; and (ii) Five years experience as Steno-	

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointmen other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	(i) 10+2 / Graduate or equivaler (for Ex- Servicemen 10+ only); (ii) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute and Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereo at 15 words per minute; (iii) Five years experience as Stentypist or three years experience as Junior Scale Stenographer and (iv) Hindi or Sanskrit up to Matri Standard or Higher Education; Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the possession on the service of the possession of the poss
5	Steno Typist	(ii) 10+2 / Graduate or equivalent (for Exservicemen 10+2 only); (iii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	shall be considered eligible. By promotion (i) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute; and (ii) Five years experience as Clerk. By transfer or deputation- (i) 10+2 / Graduate or equivaler (for Ex-servicemen 10+2 only) (ii) English Shorthand at 80 word per minute and transcription thereof at 15 words per minute and transcription thereof at 1 words per minute; (iii) Five years experience as clerk and

Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
			(iv) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post shall be considered eligible.
6	Clerk	(i) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	By transfer or deputation- (i) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.
	Field Staff		By promotion
I.	Assistant Project Officer	(i) Diploma in Electrical or Electronics or Mechanical Engineering; and	(i) Diploma in Electrical or Electronics or Mechanical Engineering; and
		(ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.	(ii) Five years experience as Technical Assistant;
		Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	By transfer or deputation- (i) Diploma in Electrical or Electronics or Mechanical Engineering; (ii) Five years experience as Technical Assistant/ Junior Engineer; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education.
			Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.
2	Technical Assistant	(i) Matric with ITI Certificate holder (Mechanical or Fitter or Motors or Electrical or Turner); and	(i) Matric with ITI Certificate holder (Mechanical or Fitter or Motors or Electrical or Turner);



Serial Number	Designation of Post	Academic qualification and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(ii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing Higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	 (ii) Five years experience as Technical Assistant; and (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.
3	Steno Typist	(ii) 10+2 / Graduate or equivalent (for Exservicemen 10+2 only); (ii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand or 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute; (iii) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.	(i) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute; and (ii) Five years experience as Clerk. By transfer or deputation- (i) 10+2 / Graduate or equivalent (for Ex-servicemen 10+2 only); (ii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute and Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute; (iii) Five years experience as clerk; and (iv) Hindi or Sanskrit up to Matric Standard or Higher Education. Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible.

T. C. GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana, New and Renewable Energy Department. the M.C. Limit at Patiala Road near Haryana Marbles, then along the M.C. limit then towards the Eastern side upto the Pehowa Road on Khasra No. 43/4, 5. i.e. the starting point.

DR. MAHAVIR SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय उर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मई, 2015

संख्या DRE-Admin./2015/302.—भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत मुख्यालय और क्षेत्रिय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे सं"ोोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:—

- 1. ये नियम हरियाणा गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत मुख्यालय और क्षेत्रिय (ग्रुप ग) सेवा सं"ोोधन नियम, 2015 कहे जा सकते है।
- 2. हरियाणा गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत मुख्यालय और क्षेत्रिय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परि रिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिख्ति प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

की जाएंगी, अर्थात:—	
3	4
(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक; स्तर तक या उच्चतर षिक्षा में हिन्दी / संस्कृत;	पदोन्नित द्वारा— (i) मैट्रिक; (ii) सेवादार, मेहतर या चौकीदार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;

राजन गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, अक्षय उर्जा विभाग।

HARYANA GOVT. GAZ., (EXTRA.), MAY 19, 2015 (VYSK. 29, 1937 SAKA)

HARYANA GOVEERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 19th May, 2015

No.DPE-Admn.2015/302.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Non-Conventional Energy Sources, Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998 namely:—

- (1) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Amendment Rules, 2015.
- (2) In the Haryana Non Conventional Energy Sources Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998 in Appendix B, under columns 3 and 4, against serial No. 5, for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

	3	4
(i)	Matric;	
(ii)	should have a light transport vehicle valid driving	By Promotion:-
	licence, at least three years old;	(i) Matric;
(iii)	should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission;	(ii) three years experience as Peon, Sweeper or Chowkidar;
(iv)	should not be colour blind;	(iii) should have a light transport vehicle valid driving
(v)	Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher	licence at least three years old;
	education.	 (iv) should have passed the driving test conducted by the department;
		(v) should not be colour blind;
		(vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
		(vii) should not be more than fifty years age;
		By Transfer/deputation
		(i) Matric;
		 (ii) should have a light transport vehicle valid driving licence, at least three years old;
		(iii) three years experience as light transport vehicle driver;
		(iv) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;
		(v) should not be colour blind:
		(vi) If not already working on the post of Driver then
		should not be more than fifty years of age."

RAJAN GUPTA, Additional Chief Secretary to Government Haryana. Renewable Energy Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 17-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 26, 2022 (VAISAKHA 6, 1944 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 अप्रैल, 2022

संख्या 215.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- 1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5, में, "सत्रह" शब्द के स्थान पर "अठारह" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

पी. के. दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW & RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 12th April, 2022

- **No. 215.** In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998, namely:-
- 1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy Headquarter and Field (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
- **2.** In the Haryana Renewable Energy, Headquarter and Field (Group C) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "17" the word "eighteen" shall be substituted.

P. K. DAS, Additional Chief Secretary to Government Haryana, New and Renewable Energy Department.

9545—C.S.—H.G.P., Pkl.